न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –95 / 2016 जिला दौसा ।

1. रूगनाथ पुत्र ग्यारसा
2. कालूराम पुत्र रामचन्दर
3. रामखिलाडी पुत्र नारायण
4. मीठा लाल पुत्र नारायण
5. रंग लाल पुत्र नारायण
6. रामप्यारी पत्नी महादेव
7. डालूराम पुत्र महादेव
8. कन्हैया लाल पुत्र महादेव
9 हरिनारायण पुत्र महादेव
10. बद्री लाल पुत्र महादेव
11. लल्लू पुत्र हरजी
12. रूगनाथ पुत्र रामदेवा
13. श्रवण पुत्र रामदेवा
14. भूरा पुत्र रामदेवा
15. शांति पत्नी रूपनारायण
16. रामफूल पुत्र मांग्या
17. बद्री लाल पुत्र भौर्या
18. जयराम पुत्र मंगला
19. गैंदा पुत्र मंगला
20. बद्री पुत्र हरला
21. रंग लाल पुत्र हरला
22. भूली पत्नी हरला
23. नारायण पुत्र बिरदा
24. लोहड्या पुत्र ग्यारसा
25. पांची पत्नी कास्या
26. नानगी पत्नी रामसहाय
27. बाबू पुत्र रामसहाय
28. धोल्या पुत्र रामसहाय
29. सांवलराम पुत्र काल्या
30. श्यामजी राम पुत्र काल्या
31. जयराम पुत्र काल्या

समस्त जाति मीणा निवासी डोबलाखुर्द हाल निवासी मांगल्यावास, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. शिवनारायण पुत्र चिमना
2. हरबक्श पुत्र चिमना
3. नारायण पुत्र चिमना
4. भौंरी देवी पत्नी चिमना (दौराने अपील फौत)
5. सोनी पत्नी कल्याण
6. देवकरण पुत्र कल्याण
7. गोविन्दनारायण पुत्र कल्याण
8. रामरतन पुत्र कल्याण
9. रामकरण पुत्र कल्याण
10. नैना पत्नी नोन्दा
11. हरफूल पुत्र नोन्दा

12. हरकेश पुत्र नोन्दा
समस्त जाति मीना, निवासी डोबला खुर्द हाल निवासी मांगल्यावास , तहसील लालसोट, जिला दौसा ।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा अति. जिला कलक्टर दौसा दिनांक 4.5.2012

उपस्थित–
1. वकील अपीलान्ट श्री मुकेश शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री के.एल.मीना

निर्णय

दिनांक– 28.2.2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 4.5.2012 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि डाबला खुर्द, तहसील लालसोट, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 155 रकबा 93 बीघा 2 बिस्वा में हिस्सा दर्ज कराने हेतु रामफूल पुत्र मांग्या मीना के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार लालसोट ने पत्र क्रमांकः भू.अ./08/7314 दिनांक 21.1.2008 द्वारा पटवारी हल्का गांगल्यावास को मुताबिक जमाबन्दी संवत 2014–2017 के हिस्से अनुसार शुद्धि पत्र भरकर पेश करने के आदेश देने पर उक्त आदेश की अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा महादेव , काल्या पि. रामचन्द्र व रंलाल, मीठालाल, ख्याली पि. नारायण हिस्सा 1/8, रूगनाथ, श्रवण, भूरा, रूपनारायण पि. रामदेव, लल्या पुत्र हरजी हिस्सा 1/8, रामफूल पुत्र मांग्या हिस्सा 1/8, बदरी वल्द भौर्या हिस्सा 1/8, बदरी, रंगलाल पि. हरला, भूली बेवा हरला, जयराम, गैन्दा पि. मंगला, नारायण पुत्र बिरदा हिस्सा 1/8, तोन्दा, रामरतन, देवकरन, गोविन्द नारायण, रामकरण पि. कल्याण सोनी बेवा कल्याण, शिवनारायण, हरबक्स, नारायण पि. चिमना हिस्सा 1/8, रूगनाथ पुत्र ग्यारसी हिस्सा 1/8, कास्या, लोहड्या पि. ग्यारसा हिस्सा 1/8 जाति मीना दर्ज कर शुद्ध किये जाने की रिपोर्ट दिनांक 22.1.2008 को जमाबन्दी में अंकित की गई जिस पर आई.एल.आर. के हस्ताक्षर दिनांक 23.1.2008 अंकित है ।

तहसीलदार लालसोट के उक्त आदेश क्रमांकः भू.अ./08/7314 दिनांक 23.1.2008 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट शिवनारायण द्वारा अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर, दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गई , जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.5.2012 द्वारा विवादित भूमि में रामचन्द्र पुत्र सुखपाल, रामदेव पुत्र पांचू. मांग्या पुत्र मंगला, भौर्या पुत्र नंदा, बिरदा पुत्र गोपाल, . कल्याण, चिमना पि. सुखदेवा, रूगनाथ पुत्र ग्यारसा, ग्यारसा पुत्र किशना कौम मीना को भूमि आवंटन होने पर हिस्सा दर्ज नहीं किये जाने पर शुद्धि पत्र अनुसार 1.रामचन्द्र पुत्र सुखपाल, 2.रामदेव पुत्र पांचू. 3.मांग्या पुत्र मंगला, 4.भौर्या पुत्र नंदा, 5. बिरदा पुत्र गोपाल, . 6.कल्याण चिमना पुत्र सुखदेवा, 7. रूगनाथ पुत्र ग्यारसा, 8.ग्यारसा पुत्र किशना सभी को 8 मानकर हिस्सा 1/8 से शुद्ध कर हिस्सा दर्ज कर दिया जबकि कल्याण चिमना पि. सुखदेवा का पिता एक होने व दोनों सगे भाई होने की वजह से इनका हिस्सा 1/8 में दर्ज कर दिया गया जबकि भूमि कल्याण व चिमना को अलग अलग धारा 19 के तहत आवंटन होना व आवंटन से लेकर आज दिनांक तक कल्याण व चिमना पुत्र सुखदेव का व आज उनके वारिसानों का समान भाग से अलग हिस्सा मौके पर कायम होना व आज तक कायम करना अंकित किये जाने की स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित समझते हुये स्वीकार की जाकर प्रश्नगत आदेश तहसीलदार लालसोट भू.अ./08/7314 दिनांक 23.1.08 निरस्त किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार लालसोट को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये गये कि आवंटन खातेदार को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर मौके पर वर्तमान कब्जे की जांच कर आवंटन खातेदारों के हिस्से अंकित किये जावे ।

अति. कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 4.5.2012 के खिलाफ अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अति. जिला कलक्टर दौसा दिनांक

4.5.2012 एवं तहसीलदार द्वारा जारी शुद्धि पत्र क्रमांकः 1 दिनांक 25.7.2012 निरस्त किये जाकर पूर्व में पारित तहसीलदार लालसोट के आदेश क्रमांकः भू.अ./08/7314 दिनांक 23.1.2008 बहाल रखे जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना व केवल तहसीलदार लालसोट को पक्षकार बनाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो सामन्यतः न्याय व कानून के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । विवादित आराजी के संबंध में न्यायालय उप जिला कलक्टर लालसोट व सहायक कलक्टर लालसोट के न्यायालय में दावे चल रहे थे जिसमें रेस्पोंडेन्ट बतौर प्रतिवादी उपस्थित आ रहे थे , लेकिन रेस्पोंडेन्ट द्वारा तथ्यों को छिपाते हुये , अपीलान्ट्स को बिना पक्षकार बनाये अपील पेश कर अपीलाधीन आदेश पारित कराया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना आवंटन पत्रावली मंगवाये , बिना कब्जे काश्त की जॉच किये व बिना अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण व विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी सबूत व दस्तावेजात के रेस्पोंडेन्ट्स के पूर्वजों चिमना व कल्याण पुत्र सुखदेवा का भूमि में अलग अलग हिस्सा आवंटित होना व अलग अलग हिस्सा मानकर 1/9 हिस्सा दर्ज किये जाने का आदेश पारित करना सामन्य कानून के सिद्धान्तों के विपरीत है । उनका कहना था कि प्रकरण जमाबन्दी में हिस्सा दर्ज करने से संबंधित था जो रिकार्ड दुरूस्ती से संबंधित होने के कारण उस पर सुनवाई का अधिकार उप जिला कलक्टर लालसोट , जिला दौसा को था । रेस्पोंडेन्ट चिमना, कल्याण पुत्र सुखदेवा के वारिसान ने इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का एक वाद पेश कर रखा है जिसे प्रश्नागत आदेश पारित होने तथा इन्द्राजात होने के बाद गुपचुप तरीके से खारिज करवा लिया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट्स को पक्षकार नहीं बनाने से अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं हुई और जानकारी होने पर तथा प्रभावित पक्षकार होने से धारा 96 सी.पी.सी. एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत की है जिसे स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश व तहसीलदार द्वारा जारी शुद्धि पत्र दिनांक 25.7.12 निरस्त किये जाकर तहसीलदार लालसोट के आदेश दिनांक 23.1.2008 यथावत बहाल रखे जाने की प्रार्थना की ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि मुताबिक पटवारी हल्का नोट संख्या 6 नामांतरकरण संख्या 7 दिनांक 5.6.1960 के द्वारा रामचन्द्र पुत्र सुखपाल, रामदेव पुत्र पांचू. मांग्या पुत्र मंगला, भौर्या पुत्र नंदा, बिरदा पुत्र गोपाल, चिमना पुत्र. सुखदेवा, कल्याण पुत्र सुखदेवा, कास्या पुत्र ग्यारसा, ग्यारसा पुत्र किशना कौम मीना को आवंटन हुई थी । महादेव, काल्या पि. रामचन्द्र व रंगलाल, मीठालाल, ख्याली पि. नारायण हिस्सा 1/9, रूगनाथ, सरवण, भूरा, रूपनारायण पि. रामदेव व लल्या पुत्र हरजी हिस्सा 1/9, रामफूल पुत्र मांग्या हिस्सा 1/9, बदरी वल्द भौर्या हिस्सा 1/9, बदरी रंगलाल पि. हरला, भूली बेवा हरला, जयराम गेंदा पि. मंगला, नारायण पुत्र बिरदा हिस्सा 1/9, नोंदा, रामरतन, देवकरण, गोविन्द नाराया, रामकरण पि. कल्याण सोनी बेवा कल्याण हिस्सा 1/9, शिवनारायण, हरबक्श, नारायण पि. चिमना हिस्सा 1/9, रूगनाथ पुत्र ग्यारसा हिस्सा 1/9, कास्या लोहडिया पि. ग्यारसा हिस्सा 1/9 जाति मीना मौके कब्जे में रिकार्ड अनुसार होना चाहिये था । पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 13.9.2011 में अंकित किया था कि कल्याण, चिमना पि. सुखदेव का पिता एक होने व दोनों सगे भाई होने की वजह से इनका हिस्सा 1/8 में दर्ज कर दिया गया जबकि भूमि कल्याण व चिमना को अलग अलग धारा 19 के तहत आवंटित हुई थी एवं आवंटन से लेकर आज दिनांक तक कल्याण व चिमना पुत्र सुखदेवा का व आज इनके वारिसानों का समान भाग से अलग अलग हिस्सा मौके पर कायम है व आज भी काश्त कर रहे हैं । उक्त खसरा नम्बर में से 9 हिस्से कर लिये गये थे जो आज भी समान भाग में कायम है । शिवनारायण, हरबक्स नाायण पि. चिमना का हिस्सा 1/9 है । इससे स्पष्ट है कि उक्त खाता हिस्सा 1/8 के बजाय हिस्सा 1/9 शुद्ध किया जाना उचित माना है । अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार के आदेश दिनांक 23.1.08 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट की अपील स्वीकार की जाकर प्रश्नगत आदेश तहसीलदार लालसोट भू.अ./08/7314 दिनांक 23.1.08 निरस्त किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार लालसोट को प्रतिप्रेषित किया जाकर

निर्देश दिये गये कि आवंटन खातेदार को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर मौके पर वर्तमान कब्जे की जांच कर आवंटन खातेदारों के हिस्से अंकित किये जावे , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे ।

मैनें प्रकरण कें अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद ग्रम डाबला खुर्द, तहसील लालसोट, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 155 रकबा 93 बीघा 2 बिस्वा में हिस्सा दर्ज कराने संबंधी है । अपीलान्ट संख्या 16 रामफूल पुत्र मांग्या मीना के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार लालसोट द्वारा पारित आदेश क्रमांकःभू.अ./08/7314 दिनांक 21.1.2008 की अनुपालना में पटवारी की रिपोर्ट पर दिनांक 23.1.2008 को शुद्धि पत्र से महादेव , काल्या पि. रामचन्द्र व रंगलाल, मीठालाल, ख्याली पि. नारायण हिस्सा 1/8, रूगनाथ, श्रवण, भूरा, रूपनारायण पि. रामदेव, लल्या पुत्र हरजी हिस्सा 1/8, रामफूल पुत्र मांग्या हिस्सा 1/8, बदरी वल्द भौर्या हिस्सा 1/8, बदरी, रंगलाल पि. हरला, भूली बेवा हरला, जयराम, गैन्दा पि. मंगला, नारायण पुत्र बिरदा हिस्सा 1/8, तोन्दा, रामरतन, देवकरन, गोविन्द नारायण, रामकरण पि. कल्याण सोनी बेवा कल्याण, शिवनारायण, हरबक्स, नारायण पि. चिमना हिस्सा 1/8, रूगनाथ पुत्र ग्यारसी हिस्सा 1/8, कास्या, लोहड्या पि. ग्यारसा हिस्सा 1/8 जाति मीना दर्ज करने के आदेश दिये गये जिसके खिलाफ रेस्पोंडेन्ट शिवनारायण की अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर, दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.5.2012 द्वारा कल्याण व चिमना को अलग अलग धारा 19 के तहत भूमि आवंटन होना व आवंटन से लेकर आज दिनांक तक कल्याण व चिमना पुत्र सुखदेव का व आज उनके वारिसानों का समान भाग से अलग हिस्सा मौके पर कायम होना व आज तक कास्त करना अंकित किये जाने की स्थिति में स्वीकार की जाकर प्रश्नगत आदेश तहसीलदार लालसोट भू.अ./08/7314 दिनांक 23.1.08 निरस्त किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार लालसोट को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये गये कि आवंटन खातेदार को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर मौके पर वर्तमान कब्जे की जांच कर आवंटन खातेदारों के हिस्से अंकित किये जावे ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अपीलाधीन आदेश अति. जिला कलक्टर दौसा दिनांक 4.5.2012 उचित एवं विधिसम्यक है जिसमे हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय आज दिनांक 28.2.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

( चित्रा गुप्ता )
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर